

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण कमांक०-639 / 12
संस्थापित दिनांक 04 / 12 / 12
फाईलिंग नम्बर 233504000892012

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन

—: विरुद्ध :-

कैलाश पिता कसदन पवार, उम्र 35 वर्ष,
 जाति पवार, व्यवसाय मजदूरी, नि० पांडे मोहल्ला,
 आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-08 / 08 / 2016 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी) बी के तहत अभियोग है कि घटना दिनांक 04.12.12 को समय 08.00 बजे या लगभग पांडे आमला में लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी रखे पाया। जो कि म०प्र० राज्य की अधिसूचना कं०-6312-6552(2)बी(1) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता निरीक्षक के पद पर थाना आमला में पदस्थ है। दिनांक 04 / 12 / 12 को कस्बा भ्रमण में था कि मुखबिर से सूचना मिली कि पांडे मोहल्ला आमला में एक व्यक्ति हाथ में नंगी लोहे की छुरी लिये दिन दहाड़े घूम रहा है जो आने जाने वालों डरा धमका रहा है कि सूचना तत्पक्ष के लिए हमराह स्टाफ आर० 538 जाकिर, 88 योगेश मय साक्षी राहगीर विजय एवं मुकेश के जाकर पांडे मोहल्ला आमला जाकर देखा कि एक व्यक्ति हाथ में एक लोहे की छुरी अवैध रूप से लहराते घुमाते मिला जिसे स्टॉफ की मदद से छेराबंदी कर पकड़ा जिससे पूछताछ किया तो अपना नाम कैलाश नि० पांडे मोहल्ला का होना बताया जिसके पास अवैध शस्त्र रखने का लायसेंस पूछा तो नहीं होना बताया तथा समक्ष गवाहन विधिवत् मुताबिक जप्ती पत्रक एक लोहे की छुरी जप्त कर कब्जे पुलिस लिया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25 आर्म्स एक्ट का घटित होना पाये जाने से पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 3 है लेखबद्ध किया गया। जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 359/12 में 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 04.12.12 सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्शनी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया है। दिनांक 04.12.12 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्शनी-2 तैयार किया गया। प्रकरण में अधिसूचना प्र०पी० 4 संलग्न की गई। विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

“क्या घटना दिनांक 04.12.12 को समय 08.00 बजे या लगभग पांडे आमला में लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी रखे पाया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :- **विचारणीय प्रश्न क० 1 का निराकरण**

6— अभियोजन साक्षी आर०के० दुबे (अ०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 04/12/12 को पुलिस थाना आमला में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि पांडे मोहल्ला आमला में एक व्यक्ति हाथ में लोहे की छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना मिलने पर हमराह स्टॉफ विजय तथा मुकेश के साथ पांडे मोहल्ला आमला पहुँचा, वहाँ उसने देखा कि आरोपी कैलाश हाथ में लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। उसने गवाहों के समक्ष आरोपी के कब्जे से लोहे की छुरी जप्त किया था। जिसकी लंबाई 12 इंच चौड़ाई 1 इंच फन की लंबाई साढ़े आठ इंच मूठ की लंबाई साढ़े तीन इंच थी, को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी० 1 तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं बी से बी भाग पर थाने की सील है। उसके द्वारा जप्त की गई लोहे की छुरी आरटीकल ए1 है।

7— आगे इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने मौके पर ही उन्हीं गवाहों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मौके पर ही साक्षी मुकेश एवं विजय के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। जिसमें उसने कुछ जोड़ा या छोड़ा नहीं था। उसने पुलिस थाना आकर आरोपी कैलाश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 359/12 अंतर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट का अपराध दर्ज कर प्रथम सूचना

रिपोर्ट प्र० पी० 3 लेख किया था जिसके ए से ए भाग एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आर्म्स एक्ट से संबंधित शासन की अधिसूचना प्र० पी० 4 है जो प्रकरण में संलग्न की गई है। यह गवाह विवेचना अधिकारी है। इस गवाह की साक्ष्य का समर्थन आरक्षक योगेश (अ० सा० 2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है। वह उस समय नगर निरीक्षक आर० के० दुबे पदस्थ थे उनके साथ पांडे मोहल्ला गया था। जहां पर आरोपी कैलाश हाथ में छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। दुबे साहब ने उसे हाथ में छुरी लिये हुये गिरफ्तार किया था। इस प्रकार इस गवाह ने विवेचना अधिकारी आर० के० दुबे की साक्ष्य का समर्थन किया है।

8— किन्तु इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि किस स्थान की घटना है। वह आज नहीं बता सकता है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर घटना स्थल पर चार पांच लोग कौन थे उनके नाम नहीं मालूम। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने घटना स्थल पर उपस्थित लोगों से उसके सामने घटना के समय थाना प्रभारी ने कोई पूछताछ नहीं की। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर थाना प्रभारी के साथ मय स्टॉफ के वे लोग पहुँचे आरोपी को पकड़कर गाड़ी में बैठा ला और थाना लेकर आ गये थे, थाने में थाना प्रभारी द्वारा कार्यवाही की गई उसके द्वारा आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि थाना प्रभारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की, उसे नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में व्यक्त किया है जब वे थाना प्रभारी के साथ कस्बा भ्रमण के लिए निकले थे उस विजय और मुकेश दोनों साक्षी उन्हें मेन मार्केट में मिले थे। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि थाना प्रभारी ने उन्हें मार्केट में गाड़ी रोककर गाड़ी में बैठने के लिए कहा था और वे लोग गाड़ी में बैठकर गये थे। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से स्पष्ट होता है कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को साक्षी नहीं बनाया गया। साक्षी विजय और मुकेश को अपने साथ बैठा लाकर घटना स्थल पर ले गए और अभियुक्त को घटना स्थल से पकड़कर सीधे थाना लेकर आए और थाने में ही समस्त कार्यवाही की गई।

9— इस प्रकार इस गवाह की प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के कब्जे से एक लोहे की एक धारदार छुरी की जप्ती की गई। क्योंकि विवेचना अधिकारी आर० के० दुबे ने अपनी संपूर्ण मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि किस स्थान से लोहे की एक जप्ती बनाई गई। विवेचना अधिकारी के द्वारा पांडे मोहल्ला बताया गया है जबकि पांडे मोहल्ला आमला एक बड़ा क्षेत्र है। साथ ही विवेचना अधिकारी के द्वारा रवानगी एवं वापसी भी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह माना जा सके कि घटना स्थल पर विवेचना अधिकारी आर० के० दुबे के द्वारा घटना स्थल पर जाकर अभियुक्त के कब्जे से लोहे की एक छुरी धारदार की जप्ती की गई। साथ ही जप्ती के स्वतंत्र साक्षी विजय और मुकेश की साख्य भी पेश नहीं की गई है। दोनों साक्षी अदम पता है। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि

अभियुक्त के कब्जे से लोहे की एक छुरी धारदार अभियुक्त के कब्जे से जप्त कर जप्ती बनाई गई।

10— उपर्युक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी रखे पाया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं० 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

11— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी रखे पाया। इस प्रकार अभियुक्त कैलाश को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी) बी के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

12— प्रकरण में धारा 313 दं०प्र०सं० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किए गए। आरोपी का धारा 428 दं०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13— प्रकरण में जप्त शुदा एक लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला बैतूल म०प्र०